

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या

सेवा में,

प्रबन्धक

SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY, RASOOLPUR LILHA AYODHYA

वि०ख०-अमानीगंज, जनपद-अयोध्या

पत्रांक: मान्यता/प्रा०स्तर/ 7995-8006 / 2025-26

दिनांक- 21.11.2025

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 05 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ऑनलाइन आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ ऑनलाइन पत्राचार के क्रम में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय जॉच आख्या/संस्तुति एवं मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिए गये निर्णय के प्रति निर्देश से नवीन शासनादेश विषेश सचिव उ०प्र० शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 पत्रांक संख्या : 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26.09.2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY, RASOOLPUR LILHA AYODHYA** वि०ख०-अमानीगंज, जनपद-अयोध्या (अंग्रेजी माध्यम) को आदेश निर्गमन तिथि से औबन्धिक रूप से कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा पाँच (कक्षा प्री-प्राइमरी से 05) तक के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि भविष्य में विद्यालय भवन मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करा लिया जायेगा की स्थायी मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 01 में छात्रों की संख्या के पचीस प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट छात्रों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी छात्र या उसके माता पिता या संरक्षण को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी छात्र को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी छात्र को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी छात्र को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक छात्र को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन/क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।
- विद्यालय परिषर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **AYO0947891539** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, तो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION AYO0947891539

पृ०सं०: मान्यता/प्रा०स्तर/ ————— /2025-26 तददिनांक।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ०प्र० निशातगंज- लखनऊ।
2. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद- प्रयागराज।
3. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान- अयोध्या।
4. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल- अयोध्या।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी- अयोध्या।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी- अयोध्या।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी- अयोध्या।
8. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी- अयोध्या।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा- अयोध्या।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय- अयोध्या।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज- अयोध्या।



Office of the District Basic Education Officer
AYODHYA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY, RASOOLPUR LILHA AYODHYA is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY is AYO0947891539. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

21-11-2025(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

AYO0947891539

6. Medium

English

DATE:- 21-11-2025

PLACE:- AYODHYA

District Basic Education Officer

Digitally signed by LAL CHANDRA
Date: 2025-11-21 16:23:16
Reason: For Digital Signature
Location: AYODHYA

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती धनपता मौर्या
चिल्ड्रेन एकेडमी रसूलपुर लिलाहा,
अयोध्या

पत्रांक : मान्यता/उ0प्रा0स्तर/ 9785-93 /2022-23 दिनांक- 24.3.2023

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ऑन लाइन आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ ऑन लाइन पत्राचार के क्रम में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय जाँच आख्या/संस्तुति एवं मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिए गये निर्णय के प्रति निर्देश से, श्रीमती धनपता मौर्या, चिल्ड्रेन एकेडमी रसूलपुर लिलाहा-अयोध्या (अंग्रेजी माध्यम) को आदेश निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए औबन्धिक रूप से कक्षा छः से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 6 में बालकों की संख्या के पचीस प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 01. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 02. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 03. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 04. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 05. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 06. अध्यापकों की, भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 07. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
 08. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन/किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 950 वर्ग मीटर
 - कुल निर्मित- 415 वर्ग मीटर
 - कीडारथल-उपलब्ध है।
 - कक्षाओं की संख्या- 10 (तीन)
 - प्रधानाध्यापक-सहकार्यालय, सह-भंडांगार के लिए कक्षा-5 (पाँच)
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है-उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।

- बाधारहित पहुंच-उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-है।
09. विद्यालय परिषर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **AYO09477014215** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी प्रत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन कर्ता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त श्रीमती धनपता मौर्या, चिल्ड्रेन एकेडमी रसूलपुर लिलहा-अयोध्या की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत ऑन लाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/प्रपत्रों/सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण/मिथ्या/भ्रामक/तथ्य गोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION AYO09477014215

भवदीय

(सन्तोष कुमार-राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या

पृ0सं0: मान्यता/ उ0प्रा0स्तर/ /2022-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्रा0 निशातगंज, लखनऊ।
02. सचिव उ0प्रा0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
03. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
04. जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अयोध्या।
05. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
06. जिला अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
07. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, अयोध्या।
08. संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद अयोध्या।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या



Office of the District Basic Education Officer
AYODHYA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY RASOOLPUR, RASOOLPUR LILHA AYODHYA is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY RASOOLPUR is AYO09477014215. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

Valid From: 27-02-2023 To: 27-02-2024 (DD/MM/YYYY)

2. DATE OF ISSUE

3. Recognition Type

New

4. School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

AYO09477014215

DATE:- 27-02-2023

PLACE:- AYODHYA

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या
District Basic Education Officer

Digitally signed by SANTOSH KUMAR RAI
Date: 2023.02.27 11:36:34
Reason: For Digital Signature
Location: AYODHYA



**Office of the District Basic Education Officer
AYODHYA**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY, RASOOLPUR LILHA AYODHYA** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to SMT DHANPATA MAURYA CHILDREN ACADEMY is **AYO09477014215**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

25-10-2025(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

AYO09477014215

6. Medium

English

DATE:- 25-10-2025

PLACE:- AYODHYA

District Basic Education Officer

Digitally signed by LAL CHANDRA
Date: 2025-10-25 17:35:35
Reason: For Digital Signature
Location: AYODHYA